प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **157/2025** (अपील सूचना का अधिकार)
संदीप अरोड़ा, 132 महावीर कॉलोनी बेदला रोड, बड़गांव, उदयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटडा, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 06/11/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329219358010780 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 01.08.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षूब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 2401248612 दिनांक 16.09.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/157/25/958–59 दिनांक 16.09.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटडा द्वारा जरिये पत्रांक भू.अ./2025/1363 दिनांक 08.10.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराने हेतु दिनांक
18.08.2025 को जरिये ई–मेल व डाक से पत्र प्रेषित किया गया लेकिन आज दिनांक तक प्रार्थी द्वारा शुल्क जमा नहीं कराने से सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है। निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा सकती है। अतः निवेदन है कि अपील खारिज करने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटडा द्वारा जरिये पत्रांक 1172 दिनांक 18.08.2025 से अपीलार्थी को सूचना से संबंधित वांछित शुल्क जमा कराने हेतु लिखा गया परन्तु अपीलार्थी द्वारा शुल्क जमा नहीं करवा प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर से संतुष्ट है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटडा द्वारा प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुये है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर/सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26-11-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर